

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या-15 /2020/511/36-3-2020-30(सा०)/2020 टी०सी०

लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2020

:: अधिसूचना ::

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 5 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-13/2020 /502/XXXVI-03-2020-30(सा०)/2020 टी०सी०, दिनांक 08, मई, 2020 के द्वारा, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त कारखानों को, उक्त अधिनियम की धारा 51, धारा 54, धारा 55, धारा 56 एवं धारा 59 के उपबंधों से कतिपय शर्तों के अध्याधीन छूट प्रदान किया था।

चूँकि अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अधिसूचना संख्या-13/2020/502/XXXVI-03-2020-30(सा०)/2020 टी०सी० दिनांक 08, मई, 2020 को निरस्त कर दिया जाय।

अतएव साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्वारा अधिसूचना संख्या-13/2020/502/XXXVI-03-2020-30(सा०)/2020 टी०सी० दिनांक 08, मई, 2020 को निरस्त करती है।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 15/2020/511(1)/36-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 15 मई, 2020 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड ख) में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियां श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
5. निदेशक कारखाना, उ०प्र० कानपुर।
6. अधिशासी अधिकारी, उद्योग बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर)।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर)।

आज्ञा से,

(अजीज अहमद)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Shram Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/2020/511/XXXVI-03-2020- 30 (Sa.)/2020TC, dated 15 May, 2020.

NOTIFICATION

No. 15/2020/511/XXXVI-03-2020- 30 (Sa.)/2020TC

Lucknow : Dated : 15 May, 2020

WHEREAS Government of Uttar Pradesh by notification no-13/2020/502/ XXXVI-03-2020- 30 (Sa.)/2020TC, dated 08 May, 2020 issued under Section 5 of the Factories Act, 1948 (Act No- 63 of 1948) granted to all factories registered under Factories Act, 1948 exemption from provisions of section 51, section 54, section 55, section 56 and section 59 of the act subject to certain conditions.

WHEREAS due to unavoidable circumstances the Government of Uttar Pradesh comes to the conclusion that the exemptions granted by notification no-13 /2020/502/ XXXVI-03-2020- 30(Sa.)/2020TC, dated 08 May, 2020 should be cancelled.

THEREFORE in exercise of the power conferred by section 5 of the Factories Act, 1948 (Act No- 63 of 1948) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no- 10 of 1897) the Government of Uttar Pradesh hereby cancels the notification no-13/2020/502/XXXVI-03-2020-30 (Sa.)/2020TC, dated 08 May, 2020.

By Order,

(Suresh Chandra)
Pramukh Sachiv

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।